न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिलादण्डाधिकारी, लातेहार।

चुनाव वाद संख्या–26 / 2022

पुष्पादेवी

बनाम्

सावित्री देवी

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद की प्रक्रिया आवेदिका पुष्पा देवी पति–बालेश्वर राम ग्राम–चेड़रा, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार से झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम की धारा–151(II) के तहत् समर्पित आवेदन के आलोक में प्रारम्भ करते हुए दोनों पक्षकारो को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दोनों पक्ष अपने–अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस वाद में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया गया।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका की जाति चमार है तथा वह अनुसूचित जाति की सदस्या है। विपक्षी की जाति–भोगता है तथा वे भी अनुसूचित जाति की सदस्या थी, किन्तु भारत सरकार के राजपत्र द्वारा दिनांक–08.04.2022 को उन्हें अनुसूचित जन जाति में सम्मिलित कर लिया गया। अमरवाडीह पंचायत का पंचायत समिति सदस्य का पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित था। ग्राम पंचायत चुनाव–2022 में पंचायत समिति की उम्मीदवारी के लिये दोनों पक्षकारों द्वारा दिनांक–04.05.2022 को आवेदन–पत्र दाखिल किया गया। दिनांक–09.05.2022 को आवेदन का स्क्रूटनी कार्य के पश्चात् दोनों पक्षकारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया। चन्दवा पश्चिमी जिला परिषद का पद अनुसूचित जाति महिला के लिये आरक्षित था। उक्त पद के लिए सुनिता देवी जाति–भोगता द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया था। सुनिता देवी को अनुसूचित जन जाति के सदस्य बता कर नामांकन को रद्द कर दिया गया। बारियातु प्रखण्ड मे जिला परिषद की उम्मीदवारी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था।

उक्त पद पर कामेश्वर भोगता जाति–भोगता द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया था। उनका भी नामांकन पत्र अनुसूचित जन जाति के सदस्य दिखाकर रद्द कर दिया गया। दिनांक–09.05.2022 को स्क्रूटनी एवं चुनाव चिन्ह आवंटित होने के एक माह एक दिन पूर्व हीं विपक्षी को अनुसूचित जाति के लिस्ट से हटाकर अनुसूचित जन जाति में शामिल कर दिया गया। इसके बावजूद भी विपक्षी का नामांकन अनुमोदित कर चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया जो संविधान एवं झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम का उल्लंघन है। चुनाव सम्पन्न हो गया तथा विपक्षी को विजयी घोषित कर दिया गया। नियमतः विपक्षी को विजयी घोषित किया जाना गलत है, क्योंकि उसकी उम्मीदवारी हीं स्वीकार योग्य नहीं थी। उक्त चुनाव में आवेदिका अमरवाडीह पंचायत से पंचायत समिति के चुनाव में दूसरे स्थान पर रही है। विपक्षी के द्वारा कानून के विरूद्ध का नामांकन दाखिल किया गया तथा विजयी घोषित कर दिया गया। उक्त आलोक में विपक्षी के उम्मीदवारी को रद्द करते हुए आवेदिका को विजयी घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया गया एवं उनका कथन है कि आवेदिका का यह वाद पोषनीय नहीं है। विपक्षी अनुसूचित जाति के सदस्य रहते हुए अमरवाडीह पंचायत समिति सदस्य के रूप में वर्ष 2022 में निर्वाचित हुई थी। पंचायत चुनाव में उक्त सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित थी। चुनाव सम्पन्न होने के पश्चात् आवेदिका द्वारा सिर्फ मनगंढ़त आरोप लगाकर उपरोक्त वाद अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के समक्ष दायर किया गया, जो बिल्कुल निराधार एवं मनगंढ़त है। अभ्यर्थी के द्वारा चुनाव के समय अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जाति भोगता का संलग्न किया गया था एंव चुनाव पर्यवेक्षक के द्वारा सभी प्रमाण पत्रों की जांच–पड़ताल के पश्चात् स्वीकार किया गया। यह कि झारखण्ड सरकार द्वारा पत्रांक–14/विविध दिनांक–12.11/2022 का0 2937 दिनांक–06.05.2022 के द्वारा निर्गत आदेश के तहत् कुछ जातियों को झारखण्ड राज्य हेतु अनुसूचित जन जाति की सूची में सम्मिलित किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा निर्गत आदेश के पूर्व अपना नामांकन अनुसूचित जाति के तहत् दिनांक–02.05.2022 को दायर कर दिया था एवं उक्त तिथि को विपक्षी के पास वैध जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध था। अभ्यर्थी के द्वारा किसी भी तरह से कोई भी प्रमाण पत्र को छुपाकर या गुमराह कर आवेदन दायर नहीं किया गया था। अभ्यर्थी कानून का सम्मान करने वाली जन प्रतिनिधि है एवं विगत 10 वर्षों से जन प्रतिनिधि के

तहत् कार्यरत है। अभ्यर्थी के विरूद्ध अब तक कोई आरोप नहीं लगाया गया है। आवेदिका द्वारा उपरोक्त वाद सिर्फ अभ्यर्थी के मान–सम्मान व प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने हेतु दायर किया गया है। उक्त चुनाव में आवेदिका भी प्रत्याशी थी, परन्तु चुनाव में मिली हार के प्रतिशोध के कारण उक्त वाद दायर किया गया है। उक्त आलोक में आवेदिका के आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुना एवं स्मरण में रखा। अभिलेख के साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकनोंपरान्त निम्न तथ्य प्रकाश में आया।

1. भारत सरकार के राजपत्र द्वारा दिनांक–08.04.2022 को भोगता, गंझू जाति को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जन जाति के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है।
2. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार सरकार राँची के पत्रांक–2937 दिनांक–06.05.2022 से संविधान (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2022 के द्वारा संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के भाग VIA–झारखण्ड की प्रविष्टि 3 के विलोपित कतिपय जातियों का अनुसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने का पत्र जारी किया गया है।
3. आवेदिका के आवेदन पर कार्यालय पत्रांक 259/विधि, दिनांक–24.02.2023 के आलोक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक–113 दिनांक–13.03.2023 से प्राप्त आवेदिका पुष्पा देवी एवं सावित्री देवी के नामांकन पत्र की सत्यापित प्रति के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदिका एवं विपक्षी द्वारा दिनांक–02.05.2022 को निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के समक्ष अपना–अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है।
4. निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के समक्ष दोनों पक्षो द्वारा दाखिल नाम निर्देशन पत्र की संविक्षा दिनांक–05.05.2022 को किया गया तथा दोनों का नाम निर्देशन पत्र सही पाये जाने के उपरान्त स्वीकार किया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि झारखण्ड सरकार सरकार राँची के पत्रांक–2937 दिनांक–06.05.2022 से संविधान (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित

जन जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2022 के द्वारा संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के भाग VIA–झारखण्ड की प्रविष्टि 3 के विलोपित कतिपय जातियों का अनुसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधित निर्गत पत्र के पूर्व दोनों पक्षों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया एवं नाम निर्देशन पत्र की संविक्षा के उपरान्त नियमसंगत रूप से स्वीकार किया गया है। उक्त आलोक में आवदिका पुष्पा देवी के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारियातु/निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, लातेहार को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

29/1

उपायुक्त,
लातेहार।

29/1

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.04.29 16:35:45 +05:30
Location: 192.168.174.92